

थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद की पुलिस टीम द्वारा दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ,कब्जे से 60 लीटर देशी कच्ची शराब नाजायज बरामद:- थाना टीला मोड पुलिस द्वारा 60 लीटर देशी कच्ची शराब नाजायज जहरीली ले जाते दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

दिनांक 02.11.2020 थाना हाजा पुलिस को चैकिंग के दौरान ग्राम रिस्तल से ग्राम फरूखनगर की ओर महमूदपुर गाँव के सामने हिण्डन पब्लिक स्कूल से 50 कदम आगे दो व्यक्ति जाते दिखायी दिये जिन्हें रोका व टोका तो पुलिस को देखकर सकपकाया और पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया जिन्हें एक बारगी दविश देकर पकड़ लिया जिनके पास से दो प्लास्टिक की कैन जिसमें 30-30 लीटर देशी कच्ची शराब नाजायज सहित समय 20.35 बजे बरामद हुई। जिसके सम्बंध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 446/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि बनाम सोहित व दिनेश उर्फ पहाडी पंजीकृत किये गये।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सोहित पुत्र महेन्द्र नि0 अफजलपुर थाना टीला मोड गाजियाबाद
2. दिनेश उर्फ पहाडी पुत्र महिपाल नि0 अफजलपुर थाना टीला मोड गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1.मु0अ0सं0 446/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि बनाम सोहित व दिनेश उर्फ पहाडी



थाना लोनी पुलिस एवं तहसीलदार लोनी द्वारा गैरेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत दो पिकअप बुलेरो गाडी जब्त ।

अभियुक्त नदीम पुत्र नसीम निवासी जमालपुरा लोनी गाजियाबाद जो कि अवैध रूप से पशुओं का वध कर मांस बेचने के सम्बन्ध में पूर्व में कई बार जेल जा चुका है। जिसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 320/20 धारा 2/3 गैरेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत धारा 14(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अभियुक्त नदीम द्वारा अवैध क्रिया कलापो से अर्जित की गई दो बुलेरो पिकअप न0 डी एल 1 एल एक्स 6830 व डी एल 1 एल ए बी 6325 की जानकारी प्राप्त हुई। जिन्हें अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर गाजियाबाद ने अभियुक्त द्वारा अवैध क्रिया कलापो से अर्जित की गई उपरोक्त दोनो बुलेरो पिकअप गाडी को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण का आदेश निर्गत किया गया। जिसके अनुपालन में दिनांक 2.11.2020 को अपराहन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में तहसीलदार लोनी एवं थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अभियुक्त नदीम के घर से उक्त बुलेरो पिकअप गाडियों को जब्त कर थाना लोनी दाखिल किया गया है। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्यवाही से अपराधियों में खलबली मची है।

अभि0 नदीम का आपराधिक इतिहास का विवरण:-

- 1-मु0अ0सं0- 1412/15 धारा 429/270 भादवि व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम व 7 सी एल ए थाना लोनी गा0बाद
- 2- मु0अ0 सं0 428/16 धारा 429/270 भादवि व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना लोनी गा0बाद
- 3- मु0अ0 सं0 2415/18 धारा 429/270 भादवि व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना लोनी गा0बाद
- 4-मु0अ0 सं0 288/19 धारा 147/148/452/392/323/506/427भादवि थाना लोनी गा0बाद
- 5- मु0अ0 सं0 1146/19 धारा 147/148/149/307/34 भादवि थाना लोनी गा0बाद
- 6- मु0अ0 सं0 1147/19 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना लोनी गा0बाद
- 7- मु0अ0 सं0 328/2020 धारा 188/189भादवि व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना लोनी गा0बाद
- 8-मु0अ0 सं0 320/20 धारा 2/3 गैरेस्टर अधि0 थाना लोनी गा0बाद



ऑपरेशन खुशी के तहत थाना इंदिरापुरम क्षेत्र से गुमशुदा 15 वर्षीय लड़की को तलाश कर सकुशल परिजनों से मिलाया:-
थाना इंदिरापुरम की टीम द्वारा दि0-02/11/2020 से गुमशुदा 15 वर्षीय लड़की नि0 कनावनी थाना इंदिरापुरम गा0बाद जो दि0-1/2/11/2020 को समय करीब 4 बजे बहनों-2 के बीच झगड़ा होने के कारण गुस्से में घर छोड़ कर चली गई थी, गुमशुदा लड़की को मोबाइल की लोकेशन के जरिये तलाश कर सकुशल परिजनों से मिलाया गया व सुपुर्द किया गया।जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-1822/2020 धारा 363 भादवि पंजीकृत है।

नाम पता बरामद नाबालिग लड़की :

15 वर्षीय लड़की नि0 कनावनी थाना इंदिरापुरम गा0बाद



एक नफर शातिर टॉप 10 अभियुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

नाजायज सहित गिरफ्तार :- दि० 03.11.2020 को थाना मसूरी गा०बाद टीम को उस समय सफलता मिली जब उ०नि० श्री जसवन्त सिंह द्वारा चैकिंग व गस्त के दौरान नाहल बम्बे के पास से 1 नफर अभियुक्त तैय्यब पुत्र रहमान नि० ग्राम नाहल थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद को एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। जिसमें सम्बन्ध में थाना मसूरी पर मु०अ०सं० 592/20 धारा 3/25 ए.एक्ट पंजीकृत किया गया।

अपराध करने का तरीका - अभियुक्त तैय्यब उपरोक्त के पास से एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त अवैध अस्लाह के बल पर चोरी, लूट जैसे अपराध कारित करता है।

नाम पता अभियुक्त -

(1) तैय्यब पुत्र रहमान नि० ग्राम नाहल थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण -

(1) एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 592/2020 धारा 3/25 ए.एक्ट थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्त तैय्यब उपरोक्त-

1. मु०अ०सं० 535/18 धारा 392/506/411 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद
2. मु०अ०सं० 548/18 धारा 3/25 ए.एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद
3. मु०अ०सं० 549/18 धारा 414 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद
4. मु०अ०सं० 520/18 धारा 379/411/427 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद
5. मु०अ०सं० 194/19 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद
6. मु०अ०सं० 592/20 धारा 3/25 ए.एक्ट थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद



बैंकों से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लोन लेकर करोड़ों की ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय संगठित गिरोह का पर्दाफाश, थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा चार अभियुक्त गिरफ्तार :-

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.11.2020 को अंशल प्लाजा मॉल के पास सै० 01 वैशाली से 04 नफर अभियुक्त 1. कुलदीप सिंह S/O चन्द्र भूषण सिंह निवासी प्लाट न० 272 नितिखण्ड - 1 थाना इन्दिरापुरम गा०बाद मूलपता ग्राम- खानपुर PS- चुनार जिला- मिर्जापुर 2. विनोद कुमार S/O स्व० रतनलाल R/O खसरा न०-174 गली न०-11 चामण्ड मन्दिर के पास राहुल बिहार थाना विजयनगर गा०बाद 3. सुनील कुमार S/O स्व० बसन्त लाल R/O 25/173 त्रिलोकपुरी थाना कल्याणपुरी दिल्ली मूल पता ग्राम बिसुन सराय नगर PS जटवारा

जिला – प्रतापगढ़ 4. विनोद कुमार उर्फ आलोक S/O जयराम निवासी 21/343 त्रिलोकपुरी Ps – मयूरबिहार फेज – 1 दिल्ली मूलपता ग्राम अनौरा PS – रानी की सराय जिला आजमगढ़ मय फर्जी दस्तावेज व दस्तावेज बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण उपरोक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

अपराध कारित करने का तरीका-

यह शातिर गिरोह गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय होकर दर्जनों बैंकों से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपए का पर्सनल लोन लेकर बैंकों से ठगी की घटना को अंजाम दे चुके हैं।

इस गिरोह के सदस्य संगठित रूप से कार्य कर जरूरतमंद लोगों को टारगेट कर बैंक लोन दिलाने के नाम पर उनसे डाक्यूमेंट्स/कागजात इकट्ठे करते हैं। इन डाक्यूमेंट्स के आधार पर इस गिरोह के सदस्य कूट रचित डाक्यूमेंट्स जैसे फोटो /आईडी कार्ड/ पैन कार्ड/ आधार कार्ड/ नौकरी के ऑफर लेटर/ सैलरी स्लिप आदि तैयार करते हैं। इन कूटरचित डाक्यूमेंट्स के आधार पर अलग-अलग बैंकों में खाते खुलवाते हैं। फिर इन खातों में एक अन्य अकाउंट के माध्यम से लगभग 7-8 महीने तक प्रतिमाह सैलरी के रूप में पैसे जमा करते हैं।

इसके बाद इन फर्जी सैलरी खातों के आधार पर विभिन्न बैंकों में डीएसए (डायरेक्ट सेल्स एजेंसी) के माध्यम से एक साथ पर्सनल लोन के लिए आवेदन करते हैं। तत्पश्चात बैंकों के सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर फर्जी तरीके से वेरिफिकेशन कराकर बैंकों से लोन प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से इन अभियुक्तों ने अभी तक विभिन्न प्राइवेट बैंकों जैसे: बजाज फाइनेंस लिमिटेड, आईडीबी बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक आदि से कई करोड़ रुपए के लोन प्राप्त किए हैं। बैंकों से लोन की रकम प्राप्त कर निर्धारित मासिक किश्त देना बंद कर देते हैं और बैंकों से ठगी की घटना को अंजाम देते हैं।

गिरोह की विशेषताएं-

यह गिरोह मुख्यतः प्राइवेट बैंकों को टारगेट कर लोन प्राप्त करता है।

गिरोह के कुछ सदस्य मुख्यतः डॉकीज़ बॉय के रूप में भूमिका अदा कर लोगों से ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स इकठा करने व ओरिजिनल अकाउंट खरीदने का काम करते हैं।

एक ही व्यक्ति की फोटो को एडिट कर कई अन्य व्यक्तियों के रूप में प्रदर्शित कर कूट रचित कागजात तैयार करते हैं और अलग-अलग नामों से इकट्ठा करे गए कागजों पर उनका इस्तेमाल करते हैं।

कई सरकारी विभागों/ कार्यालयों के नाम पर भी नौकरी के ऑफर लेटर/ ID कार्ड/ सैलरी स्लिप आदि तैयार कर खातों में लोन लिया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण-

1. कुलदीप सिंह S/O चन्द्र भूषण सिंह निवासी प्लाट न0 272 नितिखण्ड – 1 थाना इन्दिरापुरम गा0बाद मूलपता ग्राम – खानपुर PS – चुनार जिला – मिर्जापुर

2. विनोद कुमार S/O स्व0 रतनलाल R/O खसरा न0 174 गली न0 11 चामण्ड मन्दिर के पास राहुल बिहार थाना विजयनगर गा0बाद
3. सुनील कुमार S/O स्व0 बसन्त लाल R/O 25/173 त्रिलोकपुरी थाना कल्याणपुरी दिल्ली मूल पता ग्राम बिसुन सराय नगर PS जटवारा जिला – प्रतापगढ़
4. विनोद कुमार उर्फ आलोक S/O जयराम निवासी 21/343 त्रिलोकपुरी Ps – मयूरबिहार फेज – 1 दिल्ली मूलपता ग्राम अनौरा PS – रानी की सराय जिला आजमगढ़

बरामदगी का विवरण -

अभियुक्त गणो के कब्जे से फर्जी व एडिट किया हुआ निम्न सामान बरामद हुआ जिसका विवरण इस प्रकार है -

- 1.प्रिन्टर- 01
- 2.आधार कार्ड – 14 व 1 आधार कार्ड की छाया प्रति
- 3.टूरिज्म कार्ड- 03
- 4.पहचान पत्र- 02
- 5.दो स्टीकर भारत सरकार
6. 11 अदद अलग अलग कम्पनी के मोबाइल
7. 24990/- रु0
8. तेलंगाना सरकार का 01 आफर लेटर
9. 06 फोटो विभिन्न स्टाइल के
10. एक अदद BSES कार्ड
11. 03 डिस्क
12. 13 पैन कार्ड व 1 पैन कार्ड की छाया प्रति
13. 24 डेबिट कार्ड
14. 13 चैक बुक
15. 04 मोहरे
16. 02 पैन ड्राइव
17. 02 डौगल
18. एक नगद जमा पर्ची बुक
19. 01 पे स्लिप पासबुक
20. 02 खाली पासबुक
21. 03 एम्प्लोय कार्ड
22. 147 फोटो
23. 11 पर्सनल लोन फार्म व 5 पर्सनल लोन फार्म भरे हुए
24. एक आफर लैटर
25. सर्विस रुल्स नियामावली

26. 01 लाल बहादुर अस्पताल कार्ड

27. 30 खाली कार्ड बरामद होना

अभियुक्त गण का आपराधिक इतिहास का विवरण -

मु0अ0सं0 562/2020 धारा 420,467,468,471,120बी भादवि थाना कौशाम्बी गा0बाद व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।



HONEYTRAP बिछाकर लोगो को फसाने वाले गैंग के 02 शांतिर अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री नीरज कुमार जादौन महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर गाजियाबाद श्री सुनील कुमार सिंह महोदय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना मोदीनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 03.11.2020 को निरीक्षक (अपराध) श्री मुकेश कुमार की टीम द्वारा मुकदमा अपराध स0- 913/20 धारा 384/389/193/195/211/120बी भादवि के 02 शांतिर अभियुक्तों 1.लुकमान पुत्र यामीन 2. दिनेश पुत्र राजवीर निवासीगण निगरावठी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया।

अपराध का तरीका-

दिनांक 26.10.2020 को वादिनी निवासी रफीकाबाद थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद द्वारा कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर 02 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना हाजा पर मुकदमा अपराध स0 913/20 धारा 376 डी 328/506 भादवि बनाम मनोज पुत्र हरपाल नि0 गाव बासकपुर टीकरी थाना जानी मेरठ व एक अन्य साथी के विरुद्ध दर्ज कराया गया था।

उक्त मुकदमे की विवेचना निरीक्षक (अपराध) श्री मुकेश कुमार द्वारा प्रारम्भ की गई। गहनता से विवेचनात्मक पूछताछ, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (CDR, विडियो फुटेज आदि) व अन्य साक्ष्यों से मुकदमा उपरोक्त में वादिनी व उसके गैंग 1.लुकमान पुत्र यामीन 2.दिनेश पुत्र राजवीर 3.आजाद चौहान पुत्र नजरू निवासीगण निगरावठी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद 4. सौनी उर्फ आलोक वर्मा उर्फ विकास पुत्र अज्ञात (ज्वलैर्स की दुकान) रफीकाबाद थाना मसूरी गाजियाबाद द्वारा उक्त अपराध योजनाबद्ध तरीके से षडयंत्र करके उक्त अभियुक्तों के गैंग द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये दर्ज कराया गया था। इस प्रकरण में अभियुक्तों द्वारा "HONEY TRAP" बिछाकर लोगो को फसाया जाता है तथा बाद में मुकदमा लिखवाने की धमकी देकर या मुकदमा पंजीकृत कराकर रूपयो की डिमान्ड की जाती है। उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य थानों पर भी इस प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त-

1. लुकमान पुत्र यामीन निवासी निगरावठी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद
2. दिनेश पुत्र राजवीर निवासी निगरावठी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद

वाछित अभियुक्त -

1. आजाद चौहान पुत्र नजरू निवासीगण निगरावठी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद
2. सौनी उर्फ आलोक वर्मा उर्फ विकास पुत्र अज्ञात (ज्वलैर्स की दुकान रफीकाबाद) थाना मसूरी गाजियाबाद

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 913/20 धारा 384/389/193/195/211/120बी भादवि



साहिबाबाद पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 154 ग्राम नाजायज अल्प्राजोलम नशीला पाउडर बरामद।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानि महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतूर्थ महोदय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना साहिबाबाद के नेतृत्व में **थाना साहिबाबाद** पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 154 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम बरामद किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगणों ने पूछताछ में बताया कि वह अपने व अपने परिवार के भरण पोषण हेतु एवं अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु नशे के आदी लोगो को नशला पदार्थ अल्प्राजोलम को बेचते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. गौरव सिंह पुत्र विजय सिंह नि0 बी- 218 मैन शालीमार गार्डन थाना सा0बाद गा0बाद।
2. निक्की पुत्र रोहताश नि0 एफ-24 पप्पू कालोनी गली नं0 06 थाना सा0बाद गा0बाद।
3. अनीसुर पुत्र समसुल नि0 एफ- 319 बंगाली कालोनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
4. जितेन्द्र पुत्र रामऔतार नि0 जयरामपुर थाना नरौरा जिला बुलन्दशहर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 1301/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गा0बाद बनाम गौरव।
2. मु0अ0सं0 1302/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गा0बाद बनाम निक्की।
3. मु0अ0सं0 1303/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गा0बाद बनाम अनीसुर।
4. मु0अ0सं0 1304/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गा0बाद बनाम जितेन्द्र।



बरामदगी का विवरण:-

1. 154ग्राम नाजायज नशीला पाउडर अल्प्राजोलम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा गैंगस्टर का वाँछित अपराधी गिरफ्तार

श्रीमान श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा वाँछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के नेतृत्व में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 799/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के वाँछित अभि0 आरिफ पुत्र नूरुद्दीन नि0 प्रेम नगर थाना लोनी गाजियाबाद को प्रेम नगर से दि0 03.11.2020 समय प्रातः गिरफ्तार किया गया जोकि पूर्व में वाहन चोरी के मुकदमा में जेल जा चुका है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभि0:-

आरिफ पुत्र नूरुद्दीन नि0 प्रेम नगर थाना लोनी गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोगों का विवरण अभियुक्त -

मु0अ0सं0 - 799/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना लोनी गा0बाद

मु0अ0सं0 – 177/20 धारा 411/414/482/34 भादवि थाना लोनी गा0बाद



थाना लोनी क्षेत्र में गांजा तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गण 5

किलो ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा दो अभि0गण 1. मदन धामा पुत्र करनी निवासी ग्राम निवाली थाना बागपत जनपद बागपत हाल निवासी सरस्वती

विहार शमशान घाट के पास थाना लोनी जनपद गाजियाबाद व 2. शाहिद पुत्र हफीज निवासी म0नं0 5 गली नं0 5 प्रशान्त बिहार थाना लोनी गाजियाबाद को 05 किलो ग्राम (02 किलो 900 ग्राम व 2 किलो 100 ग्राम) गांजा के साथ 25 फुटा रोड से शमशान घाट जाने वाले मार्ग पर चौकी क्षेत्र रूप नगर से दिनांक 03.11.2020 समय 07.10 बजे गिरफ्तार किया गया।

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्त गण ने बताया कि साहब हम गांजा की पुडिया बनाकर बेचते हैं। जिससे हम मुनाफा कमाकर अपना खर्चा चलाते हैं। अभी हम यह गांजा लेकर बेचने जा रहा थे कि तभी आपने पकड़ लिया। अभियुक्त गण का यह जुर्म धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट की हद को पहुंचता है।

अपराध कारित करने का तरीका (MODOUS OPERANDY):-

उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त गण ने पूछने पर बताया कि हम थाना लोनी क्षेत्र में गांजा की पुडिया बनाकर बेचते हैं। जिससे हमारा खर्च चल जाता है।

नाम पता गिरफ्तार अभि0:-

1. मदन धामा पुत्र करनी निवासी ग्राम निवाली थाना बागपत जनपद बागपत हाल निवासी सरस्वती विहार शमशान घाट के पास थाना लोनी जनपद गाजियाबाद
2. शाहिद पुत्र हफीज निवासी म0नं0 5 गली नं0 5 प्रशान्त बिहार थाना लोनी गाजियाबाद

अभियोगों का विवरण अभियुक्त कलीम-

मु0अ0सं0-935/2020 धारा 8/20 NDPS Act थाना लोनी गा0बाद

मु0अ0सं0-936/2020 धारा 8/20 NDPS Act थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी का विवरण:-

1. 05 किलो ग्राम (02 किलो 900 ग्राम व 2 किलो 100 ग्राम) गांजा नाजायज बरामद



एक अभियुक्त को एक अदद नाजायज तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर सहित गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना लोनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को एक अदद तमन्चा नाजायाज .315 बोर मय एक कारतूस जिन्दा .315 बोर के साथ गणेश हास्पिटल बुद्ध बाजार के पास दिनांक 02.11.2020 समय 19.50 बजे गिरफ्तार किया गया। इसके सम्बन्ध में पूछताछ एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

नाम पता गिरफ्तार अभि0-

जावेद पुत्र जुम्मा निवासी पानी की टंकी के पास रूपनगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0-931/2020 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना लोनी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद तमन्चा नाजायज .315 बोर मय 01 कारतूस जिन्दा .315 बोर

